HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. **2nd** Suspension Of Sentence Application No. 315/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 563/2024
URN: CRLR / 993U / 2024

1. Dinesh @ Teriya S/o Dharam Singh @ Dharmi, Aged About 28 Years, R/o Gudha Ramwas Noranhpura Ps Peeplu Distt. Tonk At Present Bhedadi Kishanpuras At Present Badiyal Kalan Ps Bhadikui Distt. Dausa (Accused In Distt. Jail Dausa).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Kedar Prasad S/o Jailal Meena, R/o Gorawali Dhani Mandwari Ps Mandwari Distt. Dausa.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. R.R. Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

14/07/2026

याची/अभियुक्त **दिनेश उर्फ टेर्या** की ओर से विचारण न्यायालय–**अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–02, लालसोट, जिला दौसा** द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–**1178/2022, सरकार बनाम दिनेश उर्फ टेर्या व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **23.08.2023** व अपीलीय न्यायालय–**अपर सैशन न्यायाधीश, लालसोट, जिला–दौसा** द्वारा दाण्डिक नियमित अपील संख्या–**22/2023, दिनेश उर्फ टेरिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **30.01.2024** के

विरूद्ध यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि याची/अभियुक्त का प्रथम सजा स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2024 को स्वीकार किया जाकर याची/अभियुक्त को दिनांक 14.06.2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गए थे। अभियुक्त द्वारा नियत तिथि पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाए जाने के कारण उसका उक्त सजा स्थगन आदेश वापिस लिया जाकर उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया है। अभियुक्त की अनुपस्थिति सद्भाविक है। वह दिनांक 16.05.2026 से लगातार अभिरक्षा में है। निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः उसका द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर द्वितय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, याची/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय सजा स्थगन प्रार्थनापत्र** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **14.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **दिनेश उर्फ टेर्या पुत्र धर्मसिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/02